इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2012

क्र. 8970-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 29 मार्च, 2012 को पुर: स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१२

बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०१२.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, १९०० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बन्दी (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१२ है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १९०० का ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, १९०० (१९०० का ३) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३१-क का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३१-क में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''इक्कीस'' के स्थान पर, शब्द ''बयालीस'' स्थापित किया जाए;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द ''दो'' के स्थान पर, शब्द ''तीन'' स्थापित किया जाए और शब्द ''दस'' के स्थान पर, शब्द ''चौदह'' स्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन.

समाज की मुख्य धारा में बन्दी का निर्बाध पुनर्वास करने हेतु किए जा रहे सुधारात्मक कार्यकलापों के मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यह अनिवार्य है कि दोषसिद्ध बन्दी को उसकी बन्दीकरण की अवधि के दौरान, उसके परिवार के सदस्यों से जीवन्त सम्पर्क में बने रहने के लिए नियमित अवसर प्रदान किए जाएं.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, १९०० (१९०० का ३) की धारा ३१-क के अनुसार दोषसिद्ध बन्दी को प्रति वर्ष इक्कीस दिन के अवकाश की अनुज्ञा है. विगत कई वर्षों के अनुभव के आधार पर, यह महसूस किया गया है कि इस अवधि में यथोचित् रूप से वृद्धि की जाए ताकि सुधारात्मक कार्यकलापों के प्रभाव को बढ़ाया जा सके और कारागार में उसकी सजा समाप्त होने पर, समाज में उसके पुनर्वास की प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जा सके. अतएव, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, मूल अधिनियम की धारा ३१-क में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २७ मार्च, २०१२.

जगदीश देवड़ा
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.